Bundesamt
für Migration
und Flüchtlinge

इनटिग्रेशन कोर्स के बारे में सूचना पत्र

जर्मनी में न-े आ-े हुए प्रवासी-ों के लिए, जिन्हे जर्मन भाषा के कोर्स में भाग लेने का हक है और जिनका इस कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्-ा है तथा जर्मनी में लम्बे अवधि से रहते हुए प्रवासी-ों के लिए इनटिग्रेशन कोर्स के दौरान जर्मन भाषा सिखने के कोर्सों के बारे में जानकारी

आदरणी-ा नागरीको,

निवास कानून के अनुसार आपको इस कोर्स में एक बार भाग लेने का हक है, -ा इसमें भाग लेने का आपका कर्तव्-ा बनता है.

<u>इनटिग्रेशन कोर्स क्-ा होता है?</u>

सामन्-ा इनटिग्रेशन कोर्स में 600 स्कूली घंटों का एक जर्मन भाषा सिखने का कोर्स होता है और 60 अध्याय घंटों का एक जर्मन लोकाचार के बारे में जानकारी पाने का कोर्स होता है. भाषा-कोर्स को 100 अध्याय घंटों के अंशों में बांटा ग-ा है. पहले 300 अध्याय घंटों को आरंभक-कोर्स कहा जाता है और अगले 300 अध्याय घंटों को एडवान्स कोर्स कहा जाता है
भाषा के कोर्स में आप जर्मन शब्दावली सिखेगें जिसकी आपको दिन-प्रतिदिन जर्मन बोलने -ा लिखने में आवश्-ाकता होगी. इसमें सरकारी का-ार्ल-ों से ताल-मेल, पडोसी-ों और सहक्रमचारी-ों से बात-चीत तथा पत्र लिखना और फ़ार्म को भरना आदि सिखा-ा जाता है.
लोकाचार कोर्स में आपको जर्मन सामाजिक जीवन के बारे में सूचना दी जाती है और -हां के कानूनों तथा नि-मों के बारे में और इस देश की संस्कृति और देश के न-े इतिहास के बारे में सूचना दी जाती है.
महिला-ों, मां-बाप और किशोरावस्था तथा अनपड लोगों के लिए अलग-अलग विशेष कोर्स बना-े ग-े हैं. इन कोर्सों की अवधि 960 घंटे है. अगर आप शीघ्र सीख सकते हैं तो आपको इनटेनसिव कोर्स में जाना चाहिए. इसकी अवधि केवल 430 घंटे है.
कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा और कोर्स के किस अंश में आरम्भ कि-ा जा-े, इस बात की जांच आपका टेस्ट लेने के बाद सिद्ध की जा सकती है.

KNr. 630.036e hindi BAMF 03/2012

<u>परिक्षा में हिस्सा लेना</u>

परिक्षा को दो अंशों में बांटा ग-ना है. पहले अंश में आपको जर्मन भाषा में परिक्षा देनी होगी और एक लोकाचार विष-न में. अगर आप जर्मन कोर्स में अच्छे नंबर से पास होते हैं और लोकाचार विष-न में भी पास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इनटिग्रेशन कोर्स को पास कर लि-ना और आपको इस का प्रमाण-पत्र (सर्टिफ़िकेट इनटिग्रेशन कोर्स) दि-ना जा-नेगा.
अगर आपने परिक्षा पास नही की तो आपको केवल उस कोर्स में हिस्सा लेने का प्रमाण-पत्र दि-ना जा-नेगा जिसमे आप पास होंगे.
परिक्षा देना निशुल्क है.

<u>इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लाभ</u>

प्रवासी जो -नूरोपी-नन संघ के देशों के अलावा अन्-न देशों के नागरीक है, उन्हे कुछ शर्ते पूरी करनी होती है अगर वह जर्मनी में स्था-नी निवास की अनुमति चाहते है. इन शर्तों में एक शर्त है कि जर्मन भाषा की प-र्ााप्त जानकारी होनी चाहिए और जर्मनी में सामाजिक जीवन, कानूनों, नि-नमों आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. इनटिग्रेशन कोर्स में पास होने के पश्चात -नह शर्तें शर्त पूरी हो जाती है. इसके अलावा आप सम-न से पहले जर्मनी की नागरिकता पा सकते हैं.

इस के अतिरिक्त इनटिग्रेशन कोर्स में पा-नी ग-नी जर्मन भाषा की जानकारी से जर्मनी में जीवन आसान हो जाता है और नौकरी मिलने के अवसर बढ जाते हैं.

<u>इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन</u>

अगर आपको कोर्स में भाग लेने की अनुमति मिलती है तो आपको इस बारे में प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) -ना रोजगार का-र्ाल-न से (Arbeitslosengeld II) से लिखित सूचना भेजी जा-नेगी (बिरेशटिग्गूंग शाइन). साथ में ही आपको कोर्स देने वाली संस्थाओं की सूचि भेजी जा-नेगी जो आपके आस-पडोस में कोर्स करते है.

कृपया शीघ्र की कोर्स देने वाली संस्था में रजिस्टर कराएँ और अपने साथ वहाँ योग्यता के प्रमाणपत्र ले कर जाएँ. अगर योग्यता प्रमाण पत्र में, "प्रतिभाग लेने की योग्यता या आवश्यकता...तक मान्य है" के अंतर्गत तिथि को निर्दिष्ट किया गया है,तो आपको इस तिथि से पहले कोर्स देने वाली संस्थाओं में रजिस्टर कराना होगा.

आपको इस अवधि तक कोर्स देने वाली संस्था में अपने-आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए. इसलिए कृप-ना शीघ्र ही किसी कोर्स करने वाली संस्था से सम्पर्क करें और वहां भाग लेने वाले लिखित प्रमाण पत्र को जमा करवा दें.
कोर्स करने वाली संस्था से आपको कोर्स आरम्भ होने के बारे में सूचना मिलेगी. कोर्स की रजिस्ट्रेशन करने के तीन महीने के अंदर कोर्स आरम्भ हो जाना चाहिए. अगर इस अवधि तक कोई कोर्स आरम्भ नही होता तो से आपको इस बारे में सूचना मिलेगी. फ़िर आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि आप इंतजार करना चाहते हैं -ना किसी अन्-न संस्था के पास कोर्स करना चाहते हैं. इस हालत में कोर्स करने वाली संस्था आपको बिरेशटिग्गूंग शाइन वापिस दे देगी.

कोर्स में बकाया सहभागिता

इंटीग्रेशन कोर्स का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बकाया फ़ॉर्म में कोर्स में भाग लेना चाहिए। इसका अर्थ कक्षा में निरंतर रूप से उपस्थित होना और अंतिम परीक्षा में भाग लेना है। कोर्स में बकाया सहभागिता आपके लिए तब भी महत्वपूर्ण है अगर आप यात्रा भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं या बाद की तिथि में भाषा कोर्स के अध्याय घंटों को फिर से दोहराना चाहते हैं. आपके कोर्स प्रदाता आपके अनुरोध पर आपको आपकी भागीदारी का लिखित पुष्टिकरण प्रदान करेंगे.

सामान्य रूप से, केवल कोर्स का एक अनुभाग पूर्ण करने के बाद ही कोर्स प्रदाता बदलना संभव है.

इनटिग्रेशन कोर्स की फ़ीस

भाग लेने के लिए आपको 1.20 -यूरो प्रति स्कूली घंटे की फ़ीस कोर्स की संस्था को भरनी होगी. -यह रकम हर 100 घंटों के अंश के लिए भरनी होगी और लोकाचार के कोर्स के आरम्भ में देनी होगी. अगर आप कोर्स में सतेत हिस्सा नही लेते तो आपको उन घंटों की फ़ीस वापिस नही दी जा सकती जिनमें आप उपस्थिति नही थे.अगर आपकी अपनी कोई आमदनी नही है तो -यह फ़ीस उस व्यक्ति को भरनी होगी जिसके पास आप के जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी होगी.

संघी-न का-र्गल-न (Bundesamt) की तरफ़ से आपको फ़ीस की मुक्ति मिल सकती है अगर आपकी आमदनी बहुत कम है. फ़ीस से मुक्ति पाने के लिए आपको संघी-न का-र्गल-न (Bundesamt) के स्था-नी दफ्तर में लिख कर आवेदन पत्र भेजना होगा (पत्ते की सूचि देखें).

कृपया अपनी वित्तीय आवश्यकता के सत्यापन का विवरण दें (बेरोज़गार प्रतिपूर्ति छ की अधिसूचना, समाजिक लाभ, घर लाभ, छात्र ऋण [इ–उ, बाल भत्ता, शरणार्थियों के लाभ के अधिनियम पर आधारित लाभ, शिशु सदन से शुल्क माफी, रेडियो और टेलीविज़न लाइसेंस शुल्क (उँ) से माफी, स्थानीय सामाजिक टिकिट आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि). अगर संभव हो तो कृपया कोर्स शुरू करने से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर दें.

वह भाग लेने वाले जिन्हे रोजगार का-र्गल-न से खर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलता है और जिनका कोर्स में हिस्सा लेना कानूनी कर्तव्य है, उन्हे इस फ़ीस से मुक्ति मिल सकती है.इस हालत में आपको आवेदन पत्र संघी-न का-र्गल-न के क्षेत्रीय कार्यासय में जमा नहीं कराना होगा.

शुल्क में योगदान की वापसी

अगर आपने 8 दिसंबर, 2007 के बाद की अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक दी है, तो प्रवसन और शरणार्थियों का संघीय कार्यालय, आपको पहले से प्रदत्त शुल्क के योगदान के 50% की वापसी कर सकता है. हालांकि, यह केवल तब लागू होता है अगर कोर्स में उपस्थित होने की योग्यता के पुष्टिकरण के प्रकाशन और अंतिम परीक्षा की पूर्णता के बीच दो वर्ष से अधिक न बीते हों. वापसी के

लिए आपको प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा.

यात्रा व्यय

अगर आपने कार्यक्षम कार्यालय से बेरोज़गारी मुआवज़ा II (Arbeitslosengeld II) प्राप्त किया है और इंटीग्रेशन कोर्स में उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं, तो आपको शुल्क में योगदान का भुगतान करने से छूट प्राप्त करने पर आपको आवश्यक यात्रा व्यय वापस किए जाएंगे. अगर संघीय कार्यालय से आपको भागीदार के भुगतान से शुल्क से मुक्ति की अनुमति मिलती है , तो आपको यात्रा व्ययों के लिए भत्ता प्राप्त होगा. हालांकि, इसके लिए योग्य होने के लिए कोर्स का स्थान आपके निवास से 3 किमी. से अधिक दूरी पर होना चाहिए. सैद्धान्तिक रूप से, केवल आपके सबसे निकट स्थित कोर्स प्रदाता तक के यात्रा व्यय की वापसी की जाएगी. कृपया यह पता करने के लिए कि क्या आपको यात्रा व्ययों की वापसी के लिए प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा, अपने कोर्स प्रदाता से पूछें.

सैद्धांतिक रूप से, यात्रा व्यय का भुगतान केवल कोर्स में बकाया सहभागिता पर हो सकता है.

अनुसरण भाषा कोर्स को दोहराना

अगर आप भाषा परीक्षा में जर्मन के बारे में पर्याप्त ज्ञान का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे, तो आप एक बार में 300 अध्याय घंटों तक दोहरा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको नियमित रूप से अध्यायों के लिए उपस्थित होने की भी आवश्यकता होती है.

अगर आप साक्षरता कोर्स ले रहे हैं, तो भाषा परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है.

अध्याय घंटों को दोहराने के लिए संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में एक आवेदन पत्र जमा कराना होगा.

जिनका कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्-न है उनके लिए कुछ सूचना

अगर आपको प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) -ना रोजगार का-र्नाल-न (Arbeitslosengeld II) से कोर्स में भाग लेने के लिए कहा ग-ना है तो आपको जल्दी से जल्दी कोर्स करने वाली किसी संस्था के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और नि-नमानुसार कोर्स में भाग लेना होगा.
अगर आप -नह नही करते तो इस से आपको मुश्किल हो सकती है:
जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढाने में असर हो सकता है.

अगर आपको अगर आप -नह नही करते तो इस से आपको मुश्किल हो सकती है:

- जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढाने में बुरा असर हो सकता है.
- अगर आपको सोशल दफ्तर से खर्चा मिलता है तो उसे कम कि-ना जा सकता है.
- -नह भी हो सकता है कि प्रवासी दफ्तर आपको आदेश दे कि आपको कोर्स के हर घंटे की आपकी फ़ीस, जो 1,- -नूरो है, वह इकट्ठी एक रकम में देनी होगी.

- आपको पैसों की सजा हो सकती है.

अगर आप नि-नमानुसार कोर्स में हिस्सा नही लेते तो कोर्स की संस्था का -नह फ़र्ज है कि वह इस बारे में प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) -ना रोजगार का-र्नाल-न (Arbeitslosengeld II) को सूचना भेजे.

<u>अन्य चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए</u>

⇒इस निर्देश पत्रक में उल्लिखित सभी आवेदन फ़ॉर्म कोर्स प्रदाता के पास, आपके स्थानीय अप्रवास कार्यालय और **संघाय कार्यालय के** कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं. आप इंटरनेट साइट www.bamf.de पर भी फ़ॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

निर्देश पत्रक में इंटीग्रेशन कोर्स में आपकी सहभागिता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. आपका कोर्स प्रदाता अतिरिक्त विवरण पर आपको जानकारी प्रदान करेगा.

कृपया शरणार्थी परामर्श कार्यालयों और युवा अप्रवास सेवा द्वारा प्रस्तावों पर भी ध्यान दें. ये कार्यालय आवेदनों में आपकी सहायता करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी समस्याओं को संबोधित करेंगे और वे आपके लिए उपयुक्त इंटीग्रेशन कोर्स ढूंढ सकते हैं. आप अपने स्थानीय अप्रवास कार्यालय, प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय या इंटरनेट पर www.bamf.de से पता सकते हैं कि आपके पड़ोस में अप्रवास परामर्श कार्यालय और युवा अप्रवास सेवाएं कहां हैं.

कृपया ध्यान दें कि जब आप इंटीग्रेशन कोर्स में उपस्थित होते हैं तो आप वैधानिक दुर्घटना बीमा के अधीन नहीं होंगे.